निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 414) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
17 मई 2023

एस० ओ० 132, दिनांक 17 मई 2023–बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों, जो देय तारीख पर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 में विनिर्दिष्ट विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करते है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पच्चीस रुपए प्रतिदिन।
2.	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका उस वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक और बीस करोड़ रुपए तक है।	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त 0.02 प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए पचास रुपए प्रतिदिन।

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2021-22 किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते है किन्तु 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 के बीच की अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम

की धारा 47 के अधीन उक्त विवरणी के संबंध में संदेय विलंब शुल्क की कुल रकम का अधित्यजन कर दिया जाएगा जो 10 हजार रुपए से अधिक है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)1582)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मई 2023

एस० ओ० 132, दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–12)1582)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 17th May 2023

S.O. 132, Date The 17th May 2023--In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act for the financial year 2022-23 onwards, which is in excess of amount as specified in Column (3) of the Table below, for the classes of registered persons mentioned in the corresponding entry in Column (2) of the Table below, who fails to furnish the return by the due date, namely:—

Table

Serial Number	**Class of registered persons**	**Amount**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Registered persons having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the relevant financial year.	Twenty-five rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or union territory.
2.	Registered persons having an aggregate turnover of more than five crores rupees and up to twenty crore rupees in the relevant financial year.	Fifty rupees per day, subject to a maximum of an amount calculated at 0.02 per cent. of turnover in the State or union territory.

Provided that for the registered persons who fail to furnish the return under section 44 of the said Act by the due date for any of the financial years 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22, but furnish the said return between the period from the 1st day of April, 2023 to the 30th day of June, 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said Act payable in respect of the said return, shall stand waived which is in excess of ten thousand rupees.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1582)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 414-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in